बिहार सरकार

सहकारिता विभाग

पत्रांक–05 / सह॰ साख (पैक्स)–70 / 19.................

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

पटना–15, दिनांक..

विषयः– वित्तीय वर्ष 2026–27 में केन्द्र प्रायोजित योजना 'प्राथमिक कृषि साख समिति (पैक्स) का कम्प्यूटरीकरण योजना' अंतर्गत केन्द्रांश राशि रु०–2,14,00,000 / –(दो करोड़ चौदह लाख) एवं राज्यांश राशि रू० 1,42,66,667 / – (एक करोड़ बयालीस लाख छियासठ हजार छः सौ सड़सठ) अर्थात कुल राशि रू० 3,56,66,667 / – (तीन करोड़ छप्पन लाख छियासठ हजार छः सौ सड़सठ) मात्र के निकासी एवं व्यय की स्वीकृति के सम्बंध में।

आदेश :– स्वीकृत।

राज्य सरकार द्वारा अल्पकालीन सहकारी साख संरचनान्तर्गत पंचायत स्तर पर गठित प्राथमिक कृषि साख समिति (पैक्स) के माध्यम से संचालित कार्यप्रणाली, व्यवसाय आदि में पारदर्शिता, एकरूपता वित्तीय अनुशासन बनाने एवं मानव संसाधन के कुशल प्रबंधन हेतु पैक्सों को कम्प्यूटरीकृत करने के दृष्टिगत सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्र संख्या–L–12013 / 2 / 2021–I&P दिनाक 30.06.2022 द्वारा लागू 'प्राथमिक कृषि साख समिति (पैक्स) का कम्प्यूटरीकरण योजना' को विभागीय संकल्प संख्या–9581 दिनांक–30.11.2022 द्वारा राज्य में लागू करने का निर्णय लिया गया है।

2. वित्तीय वर्ष, 2026–27 में केन्द्र प्रायोजित योजना "प्राथमिक कृषि साख समिति (पैक्स) का कम्प्यूटरीकरण योजना" अन्तर्गत सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या F.No. R–11016 / 40 / 2023-CTP दिनांक 04.06.2026 के आलोक में केन्द्रांश के रूप में राशि रू०–2,14,00,000 / –(दो करोड़ चौदह लाख) एवं राज्यांश राशि रु०–1,42,66,667 / – (एक करोड़ बयालीस लाख छियासठ हजार छः सौ सड़सठ) अर्थात कुल राशि रू० 3,56,66,667 / – (तीन करोड़ छप्पन लाख छियासठ हजार छः सौ सड़सठ) मात्र के निकासी एवं व्यय की स्वीकृति संसूचित की जाती है।

3. प्राथमिक कृषि साख समिति (पैक्स) का कम्प्युटरीकरण एक केन्द्र प्रायोजित योजना है। इस योजना का कार्यान्वयन एजेन्सी नाबार्ड है। राज्य के ग्राम पंचायत के सह अंतक (Co-terminous) सभी पैक्स का चरणबद्ध रूप से वित्तीय वर्ष 2022–23 से 2026–27 तक की अवधि में कम्प्युटरीकृत किया जायेगा। योजना अन्तर्गत पात्र पैक्सों का चयन एवं उक्त पैक्सों में कम्प्युटरीकरण हेतु भारत सरकार के दिशा निर्देश के अनुरूप राज्य स्तर पर योजना के कार्यान्वयन हेतु सचिव, सहकारिता विभाग की अध्यक्षता मे गठित राज्यस्तरीय अनुश्रवण एवं कार्यान्वयन समिति (SLMIC) सक्षम प्राधिकार होगा।

4 योजना के प्रावधानानुसार प्रति पैक्स लगभग 3.91 लाख रुपये व्यय निर्धारित है। उक्त व्यय अन्तर्गत हार्डवेयर, डिजिटाईजेशन एवं सपोर्ट सिस्टम मद में प्रति पैक्स कुल 3,09,068.00 रु० कर्णांकित है, जिसका वहन 60:40 के अनुपात में क्रमशः भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा किया आयेगा। शेष राशि का वहन भारत सरकार एवं नाबार्ड द्वारा किया जायेगा। योजना के कार्यान्वयन अवधि वित्तीय वर्ष (2022–23 से 2026–27) में उपलब्ध बजट उपबंध एवं उदव्यय के अन्तर्गत यथा आवश्यकता राशि की निकासी कर केन्द्रांश मद में 149.40 करोड़ (एक सौ उन्नचास करोड़ चालीस लाख) रू० तथा राज्यांश मद में 99.60 करोड़ (निन्यानवें करोड साठ लाख) रु० अर्थात कुल रू० 249.00 करोड़ (दो सौ उन्नचास करोड़) का व्यय किया जाना है।

5. सहकारिता मंत्रालय, भरत सरकार द्वारा इस योजना को SNA SPARSH Model के माध्यम से क्रियान्वयन हेतु अधिसूचित किया गया है। योजना अन्तर्गत स्वीकृत राशि का व्यय "Just-in-Time" release of Centrally Sponsored Schemes (CSS) funds through SNA SPARSH Model के अनुसार Department of Expenditure (PFMS Division), Ministry of Finance, Govt- of India के Office Memorandum F No-–1(27)/PFMS/2020, दिनांक–13.07.2023 एवं Office Memorandum F No––1(27)/PFMS/2020, दिनांक 07.08.2023 में अंकित प्रावधानों के आलोक में किया जायेगा। प्रस्तावित

SI. No.	Account Number	Name of account	Short name of account
01	01585501191	GOBHSPARSH BR 243 COP	GOBHSPARSH BR 243 COP

6.(i) वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा SNA SPARSH Module के तहत अधिसूचित स्कीमों को Component wise (General, SCSP and TSP) एक ही HoA (Head of Account) से केन्द्रांश एवं राज्यांश के e-payment हेतु दावा / विपत्र (Claim/Bill) बनाने की व्यवस्था की गयी है। तद्आलोक में वित्त विभाग, बिहार, पटना के परिपत्र सं०–410 / वि० दिनांक–12.06.2025 के आलोक में केन्द्रांश हेतु कर्णांकित बजट शीर्ष से ही केन्द्रांश एवं राज्यांश मद की राशि विकलनीय होगी।

(ii) अतः उपर्युक्त स्वीकृत राशि निम्नलिखित बजट शीर्ष के अंतर्गत विकलनीय होगीः–

अन्य सहकारी समितियों को सहायता

(राशि रुपये में)

आयोजना व्यय (विस्तृत) बजट शीर्ष	बजट उपबंध	स्वीकृत राशि
मुख्य शीर्ष–2425–सहकारिता उपमुख्य शीर्ष–00 लघुशीर्ष–108–अन्य सहकारी समितियों को सहायता मांग संख्या–09 उपशीर्ष–0201–प्राथमिक कृषि साख समिति (पैक्स) का कम्प्युटरीकरण विपत्र कोड–09–2425001080201 PFMS Code-4008 विस्तृत शीर्ष–20 अन्य प्रशासनिक व्यय, 52–मशीनें एवं उपस्कर इत्यादि वस्तुगत शीर्ष–01–मशीनें एवं उपस्कर इत्यादि	31,39,00,000	**(i)केन्द्रांश** 2,14,00,000 /– **(ii)राज्यांश** 1,42,66,667 /– **अर्थात कुल राशि** 3,56,66,667 /–
कुल		3,56,66,667 /–

7. योजना के दिशा–निर्देश के अनुसार कम्प्युटरीकरण के मुख्य घटक Hardware, Comprehensive Enterprise Resource Planning (ERP)solution, PMU, Training, Handholding support, Maintainance आदि है। योजनान्तर्गत पूरे देश में कॉमन सॉफ्टवेयर (ERP) का उपयोग किया जाना है पात्र पैक्सों को कम्प्युटरीकृत करने के दृष्टिकोण से नाबार्ड द्वारा खुली निविदा के माध्यम से कन्द्रीय स्तर पर System Integrators (SIs) का चयन करते हुए केन्द्रीय स्तर पर का एक पैनल तैयार किया जाएगा, जिसमें से राज्य स्तर पर SI का चयन किया जाना है। System Integrators (SIs) द्वारा हार्डवेयर की आपूर्ति, सॉफ्टवेयर में आंकड़ों की प्रविष्टि एवं माईग्रेशन, सॉफ्टवेयर में आवश्यकतानुसार परिवर्तन (customization) हेतु अनुशंसा, Support system आदि उपलब्ध कराया जाएगा।

8. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कार्यालय, निबंधक सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना उपर्युक्त राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र ससमय बिहार राज्य सहकारी बैंक लि०, पटना से प्राप्त कर महालेखाकार, बिहार, पटना को भेजेंगे।

9. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, वित्त विभाग के पत्रांक 4989 / वि० (2) दिनाक 16.05.2013 के आलोक में अंकित तथ्यों का अनुपालन करेंगे। साथ ही राशि की निकासी एवं व्यय करने में बिहार कोषागार संहिता तथा बिहार वित्तीय नियमावली के सुसंगत प्रावधानों एवं वित्त विभाग, बिहार, पटना द्वारा समय–समय पर निर्गत परिपत्र / अद्यतन अनुदेशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

10. इस राशि के अंकेक्षण का अधिकार भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को होगा तथा

11. इस योजना में राशि की स्वीकृति एवं व्यय पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति संचिका सख्या नि.बै. –02 / 84 / 2022–SEC6–RCS के पृष्ठ संख्या–28 / टि० पर रक्षित राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक–29.11.2022 की कार्यवाही के मद संख्या–12 में प्राप्त है।

12. इस स्वीकृत्यादेश में आंतरिक वित्तीय सलाहकार, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना की सहमति संचिका संख्या–05 / सह॰ साख (पैक्स)–70 / 19 के पृष्ठ संख्या–105 / टि० पर दिनांक–19.06.2026 को प्राप्त है।

13. इसमें सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन संचिका संख्या–05 / सह॰ साख (पैक्स)–70 / 19 के पृष्ठ संख्या–106 / टि० पर दिनांक–19.06.2026 को प्राप्त है।

ह० / –
(अभय कुमार सिंह)
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक–05 / सह॰ साख (पैक्स)–70 / 19 187 / पटना, दिनांक 22/06/26
प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

1. कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना।
2. माननीय मंत्री, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव / सचिव, सहकारिता विभाग के आप्त सचिव / अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना / प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना / निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना / निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कार्यालय, निबंधक सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना / संयुक्त सचिव, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग, नई दिल्ली 110001.
3. सभी जिला पदाधिकारी / सभी जिला सहकारिता पदाधिकारी / प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य सहकारी बैंक लि॰, पटना / विपत्र लिपिक लेखा शाखा, कार्यालय निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना (दो प्रतियों में) / उप सचिव, प्रभारी प्रशाखा–3, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना / आई॰टी॰ मैनेजर, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना।

22/06/26

22-06-26
सरकार के अपर सचिव।